भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3302

7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024

†3302. श्री सुनील बोसः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 से अवगत है, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2023 में भारत में क्षयरोग के सबसे अधिक मामले थे और वैश्विक टीबी मौतों में इसका योगदान 26 प्रतिशत था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में टीबी उन्मूलन के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी क्षय रोग की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और
(घ) क्या सरकार वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में सफल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक क्षय रोग (टीबी) रिपोर्ट, 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में क्षय रोग से होने वाली कुल मृत्यु में भारत का योगदान 26% अनुमानित था, जबकि वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट, 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में यह अनुपात घटकर 25% रह गया है।

राष्ट्रीय क्षय रोग रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट, 2025 के अनुसार देश में क्षय रोग की अनुमानित मामलें (प्रति लाख जनसंख्या) वर्ष 2015 में 237 से

घटकर वर्ष 2024 में 187 हो गई है, जो 21% की कमी को दर्शाती है तथा वैश्विक कमी (12%) की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसी अवधि में क्षय रोग से अनुमानित मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या) वर्ष 2015 के 28 से घटकर वर्ष 2024 में 21 हो गई है, जो 25% की कमी को दर्शाती है। उपचार कवरेज वर्ष 2015 के 53% से बढ़कर वर्ष 2024 में 92% हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उपचार से वंचित (मिसिंग) मामलों की संख्या 15 लाख से घटकर 1 लाख से कम रह गई है।

देशभर में बहुऔषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग (एमडीआर-टीबी) से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ओपीडी/आईपीडी में सघन स्क्रीनिंग तथा संवेदनशील आबादी एवं सामूहिक आवासीय/संस्थागत स्थलों पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय आधारित सक्रिय रोगी खोज अभियान के माध्यम से शीघ्र पहचान।
- क्षय रोगियों, जिनमें औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग के रोगी भी शामिल हैं, को निःशुल्क दवाओं एवं नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता।
- सभी क्षय रोगियों के लिए सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण (यूडीएसटी) की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जिला एवं उप-जिला स्तर पर स्थापित 11,296 न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (एनएएटी) प्रयोगशालाओं के माध्यम से औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग का पता लगाया जाता है।
- औषधि प्रतिरोध के निदान एवं गुणवत्ता आश्वासन हेतु 108 लाइन प्रोब असे प्रयोगशालाओं, 74 लिक्विड कल्चर परीक्षण प्रयोगशालाओं, 37 इंटरमीडिएट रेफरेंस प्रयोगशालाओं तथा 6 राष्ट्रीय रेफरेंस प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- विकेन्द्रीकृत उपचार व्यवस्था के लिए 815 औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग के प्रबंधन हेतु कम अवधि, अधिक सुरक्षित एवं पूर्णतः ओरल ड्रग प्रतिरोधी पद्धति प्रारम्भ की गई है, जिसमें बीपीएएलएम उपचार पद्धति *(बेडाक्विलीन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड एवं मोक्सीफ्लॉक्सासिन)* शामिल है।
- सामाजिक कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के प्रति सुधार हेतु सघन सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
- अधिसूचित क्षय रोग मामलों की निगरानी एवं मॉनिटरिग नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आरसीएच फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, गत पाँच वर्षों के दौरान देश में क्षय रोग उन्मूलन हेतु आवंटित निधियों का वर्षवार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3302 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	55.87	56.36	71.89	91.74	193.80
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.06	2.16	2.38	1.71	2.78
अरुणाचल प्रदेश	17.83	18.14	19.95	16.27	19.79
असम	48.28	46.58	51.24	58.97	159.71
बिहार	41.18	43.24	58.28	75.37	233.81
चंडीगढ़	4.18	4.17	4.59	4.96	19.25
छत्तीसगढ़	38.32	40.23	48.53	60.73	118.46
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	3.23	3.39	3.72	3.39	4.70
दिल्ली	17.96	17.71	19.48	41.05	236.16
गोवा	3.22	3.38	3.85	7.56	9.09
गुजरात	57.55	57.27	70.02	80.81	252.38
हरियाणा	44.54	46.77	54.05	54.01	102.32
हिमाचल प्रदेश	16.62	17.46	20.07	25.99	44.95
जम्मू और कश्मीर	23.00	23.64	26.00	35.33	65.47
झारखंड	42.57	44.69	54.31	68.75	141.64
कर्नाटक	69.92	67.69	81.52	96.73	271.63
केरल	41.63	42.64	49.74	49.24	90.83
लद्दाख	3.90	4.10	4.51	4.14	5.16
लक्षद्वीप	0.62	0.65	0.72	0.71	1.41
मध्य प्रदेश	77.67	80.64	99.66	123.75	398.84
महाराष्ट्र	104.92	105.08	128.35	179.17	541.68

मणिपुर	23.59	24.26	26.69	24.86	29.68
मेघालय	11.28	11.84	13.02	14.23	22.12
मिजोरम	14.14	14.85	16.33	14.13	19.12
नागालैंड	19.09	19.46	21.41	20.14	26.36
ओडिशा	52.37	54.99	67.11	77.02	213.31
पुडुचेरी	4.17	4.38	4.82	5.21	10.17
पंजाब	41.34	43.41	51.24	60.28	231.84
राजस्थान	40.02	41.00	54.40	57.83	255.39
सिक्किम	9.41	9.88	10.87	10.47	14.77
तमिलनाडु	64.97	67.27	81.86	145.36	345.52
तेलंगाना	52.15	54.76	64.38	95.02	287.78
त्रिपुरा	11.35	11.66	12.83	12.92	23.26
उत्तर प्रदेश	135.17	137.93	173.74	246.19	853.92
उत्तराखंड	22.27	23.39	26.81	31.51	58.80
पश्चिम बंगाल	79.40	83.37	103.43	146.10	344.05
